स0रा0–1/विविध–78/2019 (पार्ट–1)– 310 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

दिनेश कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा मे,

निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।

प्राचार्य/अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना,
नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना,
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, भागलपुर,
अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया,
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान एव अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा,
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियॉ,
श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण)।

प्राचार्य/अधीक्षक,
कटिहार चिकित्सा महाविद्यालय, कटिहार,
माता गुजरी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, किशनगंज,
नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुहार, रोहतास,
मधुबनी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधुबनी.
श्री नारायण मेडिकल इन्स्टीच्यूट एण्ड हॉस्पीटल, सहरसा,
लॉर्ड बुद्धा कोशी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सहरसा,
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमहारा, बिहटा, पटना,
राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर,
हिमालया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चिक्सी, पालीगंज, पटना।

प्राचार्य,
सभी सरकारी एवं निजी पारा मेडिकल संस्थान, बिहार।
सभी सरकारी एवं निजी ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं
बी0एस0सी0 नर्सिंग स्कूल, बिहार।

पटना, दिनांक–28/03/2025

विषयः– **बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–591, दिनांक–19.03.2005 एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–144/4/0/2025, दिनांक–27.02.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन चार सप्ताह के अन्दर परिवादी/पीडित को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

क्रमशः

2— अतः अनुरोध है कि मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निदेश का ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/3/25

(दिनेश कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -1/विविध—78/2019 (पार्ट—1)— 310(1) /स्वा0, पटना दिनांक—28/03/2025

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/25

सरकार के उप सचिव

(113)

पीत पत्र के बदले में

रा० सं०–18/रा०मा०आ०–17/2020–591(18), दिनांक– 19/3/2025

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–01, 06, 16 एवं 17
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती आरती
20.03.25

विषय :– बिहार के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने के संबंध में।

प्रसंग :–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वाद संख्या–144/4/0/2025 दिनांक–27.02.2025

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बिहार के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों मे रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन चार सप्ताह के अन्दर परिवादी/पीड़ित को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। विषयांकित मामला आपके प्रशाखा से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि माननीय आयोग के निदेश का ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

19/3/25

D.N - 719
20-3-25

(आनन्द प्रकाश)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

Disposed with Directions(DWD) -144/4/0/2025

From : nhrc india <nhrc.india@nic.in> Thu, Feb 27, 2025 09:08 PM

Subject : Disposed with Directions(DWD) -144/4/0/2025 1 attachment

To : cs-bihar@nic.in, DHIRAJALLFAMILY1@GMAIL.COM

Acs, Health
Home

Case No.- 144/4/0/2025

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(LAW DIVISION)
* * *

मुख्य सचिव (प्रभाग), बिहार
28 FEB 2025

MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,
G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023
Fax No.: 011-24651332 Website: www.nhrc.nic.in

Date : 27/02/2025

03 MAR 2025

THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF BIHAR, PATNA
BIHAR BIHAR
Email- cs-bihar@nic.in

Sir/Madam,

The complaint/intimation dated 21/11/2024, received from DHEERAJ KUMAR in respect of MEDICAL STUDENTS OF BIHAR, was placed before the Commission on 27/02/2025. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:

This complaint be transmitted to the concerned authority for such action as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 4 weeks associating the complainant/victim and to inform him/her of the action taken in the matter.

2. Accordingly, I am attaching scanned copy of the complaint/intimation for necessary action as per the directions of the Commission.

Yours faithfully
Sd/-
Pankaj Kumar Kaien,SO, SB-4
SECTION OFFICER
SB-4 Section
Ph. No. 011-24663472

CC to

Complainant Details:
Case No. 144/4/0/2025
DHEERAJ KUMAR
BIHAR

Sd/-
Pankaj Kumar Kaien,SO, SB-4
SECTION OFFICER
Ph. No. 011-24663472

---

1. This is a system generated email sent using email-id nhrc.india@nic.in. However, this email-id cannot be used to send any communication to the Commission.
2. For latest information about the Commission, visit our website at https://nhrc.nic.in .
3. For lodging/ tracking of complaints and uploading of action taken reports by Public Authorities, HRCNet Portal at https://hrcnet.nic.in may be visited.
4. For general information, follow us at twitter handle (https://twitter.com/India_NHRC) and subscribe YouTube channel of the Commission at https://www.youtube.com/NationalHumanRightsCommission .

134743-cr-2024.pdf
518 KB

Email ´Central Registry

(110)

बिहार के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने के सबंध में।

SB4

From : dhirajallfamily1@gmail.com Thu, Nov 21, 2024 01:00 PM

Subject : बिहार के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने के सबंध में। 1 attachment

25 NOV 2024
134743

SB4

To : Civil Surgeon, Madhepura Health Dept., Govt. of Bihar <cs-madhepura-bih@nic.in>, Civil Surgeon <cs-araria-bih@nic.in>, cs-aurangabad-bih@nic.in, CS Betiah <cs-betiah-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Gopalganj Health Dept., Govt. of Bihar <cs-gopalganj-bih@nic.in>, Dr(Mr) DR. RAJKISHOR CHAUDHARY <cs-patna-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Sheikhpura Health Dept., Govt. of Bihar <cs-sheikhpura-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Katihar Health Dept., Govt. of Bihar <cs-katihar-bih@nic.in>, DR KVP SINGH CS KAIMUR <cs-kaimur-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Purnea Health Dept., Govt. of Bihar <cs-purnea-bih@nic.in>, Dr(Mr) YADUVANSH SHARMA <cs-siwan-bih@nic.in>, Dr. Jitendra Kumar Singh <cs-nalanda-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Lakhisarai Health Dept., Govt. of Bihar <cs-lakhisarai-bih@nic.in>, Mr A K Choudhary <cs-banka-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Nawada <cs-nawada-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Samastipur Health Dept., Govt. of Bihar <cs-samastipur-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Vaishali Health Dept., Govt. of Bihar <cs-vaishali-bih@nic.in>, Dr(Mr) Umesh Sharma <cs-bhagalpur-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Begusarai Health Dept., Govt. of Bihar <cs-begusarai-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Saharsha Health Dept., Govt. of Bihar <cs-saharsa-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Khagaria Health Dept., Govt. of Bihar <cs-khagaria-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Madhubani Health Dept., Govt. of Bihar <cs-madhubani-bih@nic.in>, C S, Buxar Govt. of Bihar <cs-buxar-bih@nic.in>, Ajay Kumar <cs-muzaffarpur-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Arwal Health Dept., Govt. of Bihar <cs-arwal-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Jamui Health Dept., Govt. of Bihar <cs-jamui-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Kishanganj Health Dept., Govt. of Bihar <cs-kishanganj-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Sheohar Health Dept., Govt. of Bihar <cs-sheohar-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Darbhanga Health Dept., Govt. of Bihar <cs-darbhanga-bih@nic.in>, Ghanshyam Jha <cs-supaul-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Gaya Health Dept., Govt. of Bihar <cs-gaya-bih@nic.in>, Vijay Kumar Sinha <cs-jehanabad-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Munger Health Dept., Govt. of Bihar <cs-munger-

bih@nic.in>, Dr Sagar Dulal Sinha <cs-saran-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Motihari Health Dept., Govt. of Bihar <cs-motihari-bih@nic.in>, DR Suresh Prasad <cs-sitamarhi-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Rohtas Health Dept., Govt. of Bihar <cs-rohtas-bih@nic.in>, Civil Surgeon, Bhojpur Health Dept., Govt. of Bihar <cs-bhojpur-bih@nic.in>, cssupaul@gmail.com, Mr Kaushal Kumar <dm-supaul.bih@nic.in>, DM PATNA <dm-patna.bih@nic.in>, Tushar Singla, IAS <dm-begusarai.bih@nic.in>, Sri dinesh Kumar Rai IAS <dm-bettiah.bih@nic.in>, Mr Shrikant Shastree <dm-aurangabad.bih@nic.in>, Mr Anshul Kumar <dm-banka.bih@nic.in>, Sri Anshul Agarwal <dm-buxar.bih@nic.in>, Mr Rajiv Raushan <dm-darbhanga.bih@nic.in>, District Magistrate, Gopalganj <dm-gopalganj.bih@nic.in>, Smt. Abhilasha Sharma <dm-jamui.bih@nic.in>, Alankrita Pandey <dm-jehanabad.bih@nic.in>, Manesh Kumar Meena <dm-katihar.bih@nic.in>, District Magistrate Khagaria <dm-khagaria.bih@nic.in>, Mithilesh Mishra <dm-lakhisarai.bih@nic.in>, DM Madhubani <dm-madhubani.bih@nic.in>, Mr. Avaneesh Kumar Singh <dm-munger.bih@nic.in>, Dr. Nawal Kishor Choudhary <dm-bhagalpur.bih@nic.in>, Mr. Subrat Kumar Sen <dm-muzaffarpur.bih@nic.in>, Sri Saurabh Jorwal <dm-motihari.bih@nic.in>, Shri Anil Kumar <dm-araria.bih@nic.in>, Vishal Raj <dm-kishanganj.bih@nic.in>, Mr Shashank Shubhankar <dm-nalanda.bih@nic.in>, District Magistrate Nawada <dm-nawadah.bih@nic.in>, Tanai Sultania IAS <dm-bhojpur.bih@nic.in>, District Magistrate Purnea <dm-purnea.bih@nic.in>, Dr. Thiyagarajan S.M <dm-gaya.bih@nic.in>, Taranjot Singh <dm-madhepura.bih@nic.in>, SAWAN KUMAR DM KAIMUR <dm-bhabhua.bih@nic.in>, Kumar Gaurav <dm-arwal.bih@nic.in>, Udita Singh, IAS <dm-rohtas.bih@nic.in>, Mr VAIBHAV CHAUDHARY <dm-saharsa.bih@nic.in>, Roshan Kushwaha, DM Samastipur <dm-samastipur.bih@nic.in>, Shri Aman Samir <dm-saran.bih@nic.in>, Arif Ahsan, IAS, DM Sheikhpura <dm-sheikhpura.bih@nic.in>, District Magistrate Sheohar <dm-sheohar.bih@nic.in>, Richie Pandey <dm-sitamarhi.bih@nic.in>, Mr. Mukul Kumar Gupta <dm-siwan.bih@nic.in>, DM_Vaishali <dm-vaishali.bih@nic.in>, dm-madhubani@nic.in

Cc : Mr. Ananta Manohar badra <chairperson.bhrc-bih@gov.in>, CMO Bihar <cmbihar-bih@nic.in>, Chief Secretary, Bihar <cs-bihar@nic.in>, Radha Raman Jha <dysec-bhrc@nic.in>, healthbih <health-bih@nic.in>, Chief Minister Secretariat <cm-secretariat-bih@gov.in>, idysecretary@gmail.com, Mrs Swapna Assistant Registrar <admmisc-hcpat-bih@gov.in>, UjjwalKumar Dubey <m.bhrc@bihar.gov.in>, Shailesh

Kumar <js.health@bihar.gov.in>, INDRAJEET KUMAR <hrd-nhrc@nic.in>, phclsc@gmail.com, Vijai Anand Tiwari <reg.vig.hcpat-bih@gov.in>, Rajesh Kumar <sec-bhrc@nic.in>, D S GANGWAR <secy-cms-bih@nic.in>, Dr B Rajender <secy-par-bih@nic.in>, SP Vigilance <spvig-bih@nic.in>, svccvd svccvd <svccvd@nic.in>, S V U Patna <svu.patna-bih@nic.in>, US Petition RB <us.petitions@rb.nic.in>, Davinder Kohli <usga-tpt@rb.nic.in>, CMO Bihar <cmbihar@nic.in>, Sunil Kumar Gupta <secyvp@nic.in>, Ashok Dewan <ashok.dewan@nic.in>, Rajendra Vishwanath Arlekar <governorbihar@nic.in>, secycabsec cabsec <secy_cabsec@bihar.gov.in>, ANSHUL AGARWAL <biharnodal-abdm@gov.in>, Joint Secretary Patna <js3-health-bih@nic.in>, Rohit Deo Jha <rohit.jha@gov.in>, Managing Director Patna <md-bmsicl-bih@nic.in>, Priyamvada Retheesh <us-rticr@rb.nic.in>, Shri Manoj Kumar Sinha <usp-home-bih@gov.in>, bpsms1@gmail.com, 0>?M/ 2K? 6??>/$ *M0>*M$? ?G?&M0, *?(> <info-lokshikayat-bih@gov.in>, usadmin fpd <usadmin.fpd@nic.in>, Ram Jeewan Meena <rj.meena62@nic.in>, Manmohan Badola <manmohan.badola@nic.in>, Shekhar Kumar <digp-bih@bihar.gov.in>, adhygiene3@gmail.com, sb6 nhrc <sb6.nhrc@nic.in>, Central Registry <cr.nhrc@nic.in>

Dear,
Sir/ Madam,

Please find the attachment, Letter No. :- 127, Date :- 21.11.2024. All D.M & All C.S, Bihar.

Dhiraj Kumar
National R.T.I. Worker cum Voter of India.
Mob. No.:– 8292378086
Email ID .- dhirajallfamily8@gmail.com &
dhirajallfamily1@gmail.com

Please do not take print out of this mail unless necessary. Go green save the environment.

https://amritmahotsav.nic.in

(108)

SAVE THE TREES

Latter N.-127, All DM CS. Bihar1.pdf
2 MB

10

Dhiraj Kumar.

National R.T.I. Worker cum Voter of India.
Mob. No..– 8292378086
Email ID :- dhirajallfamily8@gmail.com &
dhirajallfamily1@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Residential Address:-
At -Manganj West, Ward No. :- 04
Post :- Manganj West,
Police station :- Jadia,
Block -Triveniganj,
Sub-Division -Triveniganj,
District -Supaul, State- Bihar,
Pin Code :- 852214

Letter No. :- DKRTI/BIH/127

Date: 21/11/2024

सेवा में,

श्रीमान माननीय सभी जिला पदाधिकारी **(D.M)** , बिहार।

सभी सिविल सर्जन (**C.S.**) , बिहार।

विषय:- **बिहार के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु विशेष और प्रभावी कदम उठाने के सबंध में।**

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है,कि में धीरज कुमार, राष्ट्रीय आर.टी.आई कार्यकर्ता हु। रैगिंग, एक सामाजिक और शैक्षणिक समस्या के रूप में, आज भी हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यमान है। यह समस्या न केवल छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी संदर्भ में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, **1966 (1956** का **102)** की धारा **33** के तहत, सचिव (डॉ. श्रीमती रीना नय्यर), भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक **23** मार्च **2016** को भारत का राजपत्र (**Gazette of India**) में रैगिंग की रोकथाम हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसका रजिस्ट्री नंबर **D.L.-33004/99** है।

हालांकि, यह देखा गया है,कि बिहार के कई मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजों (ए.एन.एम., जी.एन.एम.), और अन्य संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अब भी हो रही हैं। हाल ही में पाटन मेडिकल कॉलेज, गुजरात की घटना ने यह साबित किया है। कि यदि समय पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बिहार में भी हो सकती हैं।

सुझाव और समाधान (प्वाइंट बाय पॉइंट):------------------

01. एंटी-रैगिंग शपथ पत्र भरवाने की अनिवार्यता:- सभी संस्थानों के छात्रों (प्रवेशित और वर्तमान) से एंटी-रैगिंग शपथ पत्र अनिवार्य रूप से भरवाकर जमा करवाया जाए।

यह फॉर्म छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसमें यह स्पष्ट हो,कि रैगिंग के किसी भी मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

02. **एंटी-रैगिंग सेल का गठन और सक्रियता:-** प्रत्येक संस्थान में एंटी-रैगिंग सेल का गठन किया जाए।

यह सेल छात्रों की शिकायतों को गोपनीय रूप से दर्ज करने, उनका समाधान निकालने और नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाए।

इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों को शामिल किया जाए।

03. रैगिंग विरोधी जागरूकता अभियान:- संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए।

- इसमें रैगिंग के दुष्प्रभाव, इससे संबंधित कानून, और दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी जाए।
- छात्रों को यह बताया जाए कि रैगिंग न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है।

04. **हेल्पलाइन नंबर और गोपनीय शिकायत प्रणाली:-** सभी संस्थानों में एक एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

यह नंबर 24x7 कार्यरत हो और शिकायत दर्ज कराने वाले छात्रों की पहचान गोपनीय रखी जाए।

05. **नियमित निरीक्षण और निगरानी:-** जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए, जो सभी मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करे।

यह सुनिश्चित किया जाए कि रैगिंग के रोकथाम के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।

06. सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई:- रैगिंग में संलिप्त पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, जैसे निष्कासन, पुलिस केस दर्ज करना और शैक्षणिक प्रमाणपत्र रोकना।

इसके साथ ही, संस्थान प्रशासन की लापरवाही पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

A.T+P.O -Manganj West, Ward No -04, P.S -Jadia,Block + Sub -Triveniganj, Dist. :-Supaul, Bihar, 852214,Email:- dhirajallfamily82@gmail.com& dhirajallfamily8292378086@gmail.com,8292378086

105

07. शिक्षकों और प्रशासन की जिम्मेदारी तय करें:- संस्थानों के शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि उनके परिसर में रैगिंग जैसी घटनाएं न हों।
किसी घटना की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

08. सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना:-छात्रावासों और कैंपस में सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरण लगाए जाएं।
नए और पुराने छात्रों के बीच सकारात्मक संवाद और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

- उपरोक्त सभी बिंदुओं को लागू करने से रैगिंग जैसी अमानवीय प्रथा को रोका जा सकता है और एक सकारात्मक और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है, कि इन सुझावों पर अमल करते हुए सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं। यह कदम न केवल रैगिंग को समाप्त करने में सहायक होगा, बल्कि छात्रों के भीतर सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देगा। आपकी सहायता के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित

आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।

संलग्नक:----

01. दिनांक:- **23 मार्च 2016** को प्रकाशित भारत का राजपत्र (**Gazette of India**),जिसका रजिस्ट्री नंबर **D.L.-33004/99** का छायाप्रति। 04 पेज

भवदीय,

Dhiraj Kumar

धीरज कुमार
राष्ट्रीय आर.आई.टी. कार्यकर्ता -सह- भारत के मतदाता.
मो० 8292378086
Email:- dhirajallfamily8@gmail.com & dhirajallfamily1@gmail.com

नोट :-आवेदन पर की गई कार्रवाई प्रतिलिपि कॉपी के माध्यम से मुझे सूचना देने की कृपा की जाय........

A.T+P.O -Manganj West, Ward No -04, P.S -Jadia,Block + Sub -Triveniganj, Dist. :-Supaul, Bihar, 852214,Email:- dhirajallfamily82@gmail.com& dhirajallfamily8292378086@gmail.com,8292378086

104

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938
No. 107] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/CHAITRA 8, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सं. भा.आ.प.–34(1)/2015–मेडि./176581.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्र सरकार की पूर्व–स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत.

1 (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" में निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार होंगे:

3. "इन नियमों के उद्देश्य के लिए परिभाषाएं" शीर्षक के अंतर्गत खंड 3 में "रैगिंग" शीर्षक के अंतर्गत उप–खंड 3.3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"3.3 "रैगिंग" में निम्नलिखित शामिल होगा

कोई आचरण, चाहे यह कहे गए शब्दों द्वारा हो या लिखित शब्दों द्वारा या किसी ऐसे कार्य द्वारा हो, जिसका किसी अन्य छात्र के साथ उत्पीडन, चिढ़ाने वाला या अभद्र व्यवहार करने या हैंडलिंग का प्रभाव हो, हुल्लड़बाजी या अनुशासनहीनता के ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त होना, जो क्रोध कष्ट या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनें या बनने की संभावना हो या किसी नए या कनिष्ठ छात्र में डर या डर की आशंका उत्पन्न करना या छात्रों को कोई ऐसा कार्य या अभिनय करने के लिए कहना, जो सामान्यतया वह छात्र नहीं करेगा और जिसमें शर्म या परेशानी की भावना उत्पन्न करने या का कारण बनने का प्रभाव हो जिससे किसी नए या किसी कनिष्ठ छात्र के शरीर या मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस आचरण में किसी वरिष्ठ छात्र द्वारा ऐसा कोई कार्य शामिल है, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है, जो किसी अन्य छात्र या किसी नए छात्र के नियमित अकादमिक क्रियाकलाप को रोकता है, उसमें बाधा पहुंचाता है या व्यवधान पहुंचाता है; किसी व्यक्तिगत छात्र या छात्रों के किसी समूह को सौंपे गए अकादमिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्रों की सेवाओं का शोषण करना; छात्रों द्वारा किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र पर डाले गए दबावपूर्ण ढंग से खर्च का भार या वित्तीय खसोट का कोई कार्य; इसकी सभी विभिन्न किस्मों सहित शारीरिक दुरुपयोग का कोई कृत्य; यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, कपड़े उतरवाना, अश्लील और कामुक कृत्यों के लिए दबाव डालना, इशारा करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना या स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा पहुंचाना; बोले गए शब्दों, ई–मेलों, डाक,

A.T+P.O -Manganj West, Ward No -04, P.S -Jadia,Block + Sub -Triveniganj, Dist. :-Supaul, Bihar, 852214,Email:- dhirajallfamily82@gmail.com& dhirajallfamily8292378086@gmail.com,8292378086

103

सार्वजनिक अपमानों द्वारा कोई कृत्य या शोषण, जिसमें नए छात्र या किसी अन्य छात्रों को पराजय में सक्रिय या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद लेने, प्रतिनिधिक या परपीडन के नुक्ते का उत्तेजन भी शामिल है; कोई ऐसा कार्य, जो कामुकता का आनद प्राप्त करने या शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की मशा से या के बिना किसी नए छात्र या अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता हो।"

4 "संस्था के स्तर पर रैगिंग को रोकथाम के लिए उपाय" शीर्षक के अतर्गत खड 6 मे "दाखिले से पहले" शीर्षक के अतर्गत उप–खंड 6.1.7 को निम्नलिखित रूप मे प्रतिस्थापित /जोडा जाएगा

(i) उप–खड 6.1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"6.17 किसी छात्रावास, जो मेडिकल कॉलेज/सस्थान/विश्वविद्यालय का भाग है, में दाखिला लेने का इच्छुक या किसी अस्थायी परिसर, जो संस्थान का भाग नहीं है, जिसमें वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित कोई लॉज या छात्रावास शामिल है, में दाखिला लेने का इच्छुक कोई छात्र, छात्रावास में स्थान के लिए अपने आवेदनपत्र के साथ अनुबंध–1 (दोनों भागों) के फार्म पर अतिरिक्त वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।"

(ii) उप–खड 6.1.12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"6 1.12 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, रैगिंग की घटनाओं के होने के लिए असुरक्षित के रूप मे जाने गए सभी स्थानों की पहचान करेगा, उसमें उचित ढंग से प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उस पर निकटता से नजर रखेगा।"

(iii) उप–खड 6.1.13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

"6 1 13 मेडिकल कॉलेज, सस्थान विश्वविद्यालय अपने परिसरो में विशेष रूप से असुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करेगा और इन नियमो में उल्लिखित रैगिंग प्रतिरोधी दस्ते द्वारा सघन पुलिस व्यवस्था करेगा और अकादमिक सत्र के प्रारभिक महीनों के दौरान विषम समय में ऐसे स्थानों पर वालंटियरो, यदि कोई है, का सहारा लेगा। "

(iv) खंड 6 1.13 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जाएगा:

"6.1.13(क) संस्थान प्रमुख, संस्थान में नामाकित छात्रों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक निजी रूप से वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित छात्रावासों या लॉजों के ब्योरों की सूचना स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा और संस्थान प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेगा कि रैगिंग प्रतिरोधी दस्ता उनमें रैगिंग होने को रोकने के लिए ऐसे स्थानो पर सतर्कता सुनिश्चित करे।"

5 "सस्थान के स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के लिए उपाय" शीर्षक के अंतर्गत खंड 6 मे "दाखिला हो जाने पर" शीर्षक के अंतर्गत उप–खंड 6 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित/जोड़ा जाएगा

(i) उप–खंड 6.2.5 में उसके दूसरे पैरे के अत के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा

"(४) जहां तक सभव हो, संकाय सदस्यों को, नए छात्रों के बीच विश्वास की भावना स्थापित करने के लिए अपने–अपने छात्रावासो में छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन करना चाहिए।"

(ii) उप–खड 6.2 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"6.2.6 नए छात्रों या किसी अन्य छात्र (छात्रों) को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे या तो पीडितो के रूप मे या गवाहों के रूप में रैगिंग की घटनाओं की सूचना दें। ऐसे सूचनादाताओं की पहचान गुप्त रखी जाएगी और केवल ऐसी घटनाओं की सूचना देने के कारण ही किसी प्रतिकूल परिणाम के अधीन नहीं आएंगे।"

(iii) उप–खंड 6.2.6 के पश्चात् निम्नलिखित उप–खंड जोड़े जाएंगे :

"6.2.7 संस्थान में पहुंचने पर नए छात्रों का प्रत्येक बैच छोटे समूहों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक समूह किसी संकाय सदस्य को सौंपा जाएगा, जो संस्थान में नए छात्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई है, या समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रतिदिन समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार–विमर्श करेगा और उनका हल निकालने में नए छात्रों को आवश्यक सहायता, प्रदान करेगा।

6.2.8 नए छात्र, जहां तक संभव हो, एक अलग छात्रावास ब्लॉक में ठहरेंगे और जहा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि नए छात्रों को आबंटित आवास में वरिष्ठ छात्रों की पहुंच पर सख्ती से वार्डनों, सुरक्षा गार्डों और संस्थान के अन्य स्टाफ द्वारा मॉनीटरिंग की गई हो।

6.2.9 कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात् छात्रावास में रैगिंग रोकने की दृष्टि से छात्रावास परिसर में रैगिंग के विरुद्ध संस्थान द्वारा 24 घंटे सतर्कता सुनिश्चित की जाएगी।"

डॉ. श्रीमती रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

A.T+P.O -Manganj West, Ward No -04, P.S -Jadia,Block + Sub -Triveniganj, Dist. :-Supaul, Bihar, 852214,Email.- dhirajallfamily82@gmail.com& dhirajallfamily8292378086@gmail.com,8292378086

102

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" 03 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

No. MCI 34(1)/2015-Med./176581.—In Exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) (Amendment) Regulations, 2016."

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/ Institutions) Regulations, 2009", the following additions/modifications/deletions/substitutions. shall be as indicated therein:-

3. In Clause 3 under the heading "Definitions:- for the purpose of these Regulations", sub-clause 3.3. under the heading "Ragging" shall be substituted with the following.-

   "3.3 "Ragging" includes the following.-

   Any conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of harassing, teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. The conduct includes but is not restricted to any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher; exploiting the services of a fresher, or any other students for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students; any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students, any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person; any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from activity or passively participating in the discomfiture to fresher or any other students; any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student."

4. In clause 6, under the heading "Measures for prevention of ragging at the institution level", sub-clause 6.1.7 under the heading "Before admissions", shall be substituted/added as under:-

   (i) Sub-clause 6.1.7 shall be substituted with the following:-

   "6.1.7 A student seeking admission to a hostel forming part of the Medical College/ Institution/University, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, include a private commercially managed lodge or hostel, submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/her application for hostel accommodation."

   (ii) Sub-clause 6.1.12 shall be substituted with the following:-

   "6.1.12 The Medical College/Institution/University shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents."

A.T+P.O -Manganj West, Ward No -04, P.S -Jadia,Block + Sub -Triveniganj, Dist. :-Supaul, Bihar, 852214,Email:- dhirajallfamily82@gmail.com& dhirajallfamily8292378086@gmail.com,8292378086

(101)

(iii) Sub-clause 6 1 13 shall be substituted with the following -

"6 1.13 The Medical College/Institution/University shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session "

(iv) The following clause shall be added after clause 6.1 13.-

"6 1.13(A) The head of the institutions shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein."

5 In clause 6. under the heading "Measures for prevention of ragging at the institution level", sub-clause 6 2, under the heading "On admission", the following shall be substituted/added:-

(i) In sub-clause 6.2.5, after the end of second para thereof, the following shall be added.-

"(v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instill a feeling of confidence among the freshers."

(ii) Sub-clause 6.2 6, shall be substituted with the following:-

"6 2 6 Freshers or any other student(s) shall be encouraged to report incidents of ragging, either as victims, or even as witnesses. The identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents."

(iii) Following sub-clauses shall be added after sub-clause 6.2.6:-

"6.2.7 Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small group and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group everyday for ascertaining the problems is difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

6.2.8 Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facility are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution

6.2.9 A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution "

- Dr. Mrs. REENA NAYYAR, Secretary (I/c),
Medical Council of India

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009" were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on the 3rd August, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054